भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1963

10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

ओएनओआरसी के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)

1963. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता को सक्षम बनाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी संरचना, प्रमाणीकरण ढांचे या डेटा एकीकरण मंच का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रणालियों के विकास या परीक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रव्यापी रूप से शुरू करने से पूर्व प्रायोगिक कार्यान्वयन अथवा चरणबद्ध विस्तार की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रायोगिक पहलों के लिए अनंतिम समय-सीमा, अगर कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रौद्योगिकी-संचालित पहल है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता को सक्षम बनाती है। यह प्रणाली पात्र लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और अन्य गतिशील आबादी को, आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-पीओएस उपकरणों का उपयोग करके देश भर में किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता के खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राशन कार्ड डेटाबेस को एकीकृत करती है और उचित दर दुकानों पर तैनात अंतर संचालनीय ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से निर्बाध सुवाह्यता प्रदान करती है।

ओएनओआरसी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया गया, जिसकी शुरुआत अगस्त 2019 में अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी लेनदेन की प्रायोगिक परियोजना से हुई, जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धीरे-धीरे इसमें शामिल किया गया। वर्तमान यह योजना सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी (एनएफएसए की कुल आबादी का 100%) शामिल हैं। तदनुसार, ओएनओआरसी सुविधा अब देश भर में सभी पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए स्वतः उपलब्ध है।
